मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 29-11-95 में अधिकारियों की उपस्थिति:

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री सुभाष कुमार	आयुक्त/अध्यक्ष	[illegible] 29/11/95
2-	श्री केशरलाल शर्मा	उपाध्यक्ष,	[illegible] 29.11.95
3-	श्री विनोद बिहारी विरवेरन	जिलाधिकारी	[illegible] 29/11
4-	एस.के. मिश्रा	सचिव म.दे.वि.प्रा.	[illegible]
5-	विजय डौंडियाल	संयुक्त सचिव	[illegible]
6-	दुर्गेश श्रीवास्तव	अधिशासी अभियन्ता	[illegible]
7-	डा० एच० एस० पुंडीर	संयुक्त निदेशक, पर्यावरण, लखनऊ	[illegible]
8-	ए. के. जैन	अधिशासी अभि. उ०प्र० आवास एवं वि. परि., देहरादून	[illegible]
9-	एम.सी. बर्थवाल	महा प्रबन्धक जि. उ. के. देहरादून	[illegible]
10-	एस. सी. गर्ग	अधीक्षण अभियन्ता ला.नि.वि.	[illegible]
11-	वाई० पी० शर्मा	अधि० अभि० जल निगम	[illegible]
12-	ब्रजवीर रतन	सहायक निदेशक प्रा० नगर एवं ग्राम नियोजन	[illegible]
13-	पी० के० वर्मा	प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी	[illegible]
14-	V.M. Uniyal	A.A.O. MDDA	[illegible]
15-			

539

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 29-11-95 में अधिकारियों की उपस्थिति :-

1-श्री सुभाष कुमार, आयुक्त/अध्यक्ष	अध्यक्ष
2-श्री के0एल0शर्मा, उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0	उपाध्यक्ष
3-श्री वी0वी0विश्वेन, जिलाधिकारी, देहरादून	सदस्य
4-डा0 एच0एस0बहुवंशी, संयुक्त निदेशक, पर्यावरण उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य
5-एल0सी0चन्दोला, महाप्रबन्धक, जि0उ0के0	सदस्य
6-श्री एन0सी0गर्ग, अधीक्षण अभियंता, जल निगम, देहरादून	
7-श्री ब्रज0बी0रतन, सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, गढवाल सम्भाग, देहरादून	प्रतिनिधि सदस्य
8-श्री ए0के0जैन, अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 आवास-विकास परिषद, देहरादून	प्रतिनिधि सदस्य

अन्य उपस्थिति :

1-श्री एस0के0निगम, सचिव, म0दे0वि0प्रा0, देहरादून ।

2-श्री विजय ढौंडियाल, संयुक्त सचिव, म0दे0वि0प्रा0, देहरादून ।

3-श्री दुर्गेश श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता, म0दे0वि0प्रा0, देहरादून ।

4-श्री वाई0पी0शर्मा, अधिशासी अभियंता, जल निगम, देहरादून ।

5-श्री पी0के0शर्मा, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी ।

6-श्री विरेन्द्र मोहन उनियाल, सहायक लेखाधिकारी, म0दे0वि0प्रा0, देहरादून ।

<u>गत बैठक की कार्यवाही</u>

सर्व प्रथम उपाध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा0 द्वारा अध्यक्ष महोदय से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति लेते हुए सचिव,म0दे0वि0प्रा0 को गत बैठक दिनांक 31-5-95 की अनुपालन आख्या पढ़ने के निर्देश दिए गए। तद्नुसार सचिव,म0दे0वि0प्रा0 द्वारा गत बैठक की अनुपालन आख्या पढ़ी गयी और निम्नांकित संशोधनों के साथ सर्व-सम्मत्ति से उक्त अनुपालन आख्या की पुष्टि की गयी :-

गत बैठक दिनांक 31-5-95 के विषय क्रमांक-2 जो शालिनी मैमोरियल स्कूल ग्राम आमबाला तरला के खसरा नम्बर-5 एवं 35 पर प्रस्तावित किया गया था,के बारे में सर्व-सम्मत्ति से निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा0 आवेदक को एक निश्चित समय देकर आवेदक से वांछित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए मानचित्र का शीघ्र निस्तारण करें और यदि उक्त निर्धारित तिथि तक भी आवेदक द्वारा औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं कराया जा सकता है तो तद्नुसार उक्त मानचित्र को निरस्त करते हुए आवेदक को सूचित कर दिया जाये।

गत बैठक दिनांक 31-5-95 के विषय क्रमांक-5 जो राजपुर अथवा भट्टा से मसूरी तक रोपवे का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में था, पर बैठक में चर्चा के उपरान्त उपाध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा0 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत रोपवे के निर्माण हेतु उषा ब्रिको एवं एक अन्य फर्म द्वारा रोपवे निर्माण हेतु अपने-अपने प्रस्ताव दिए गए हैं तथा इस हेतु अन्य प्राइवेट फर्मों से भी प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव प्राप्त किए जाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं

d

उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि रोपवे निर्माण हेतु उक्त दोनों फर्मों से प्राप्त प्रस्तावों पर प्राधिकरण द्वारा नियमों के अनुकूल परीक्षण कराया जा रहा है और उपयुक्त प्रस्ताव को विस्तृत विवरण के साथ प्राधिकरण की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

सर्व-सम्मत्ति से निर्णय हुआ कि पर्यटन सीजन के दौरान मसूरी की ट्रैफिक समस्या के निदान हेतु उक्त योजना का क्रियान्वयन जनहित में होगा। अत: प्रस्ताव विस्तृत विवरण आदि के साथ प्राधिकरण की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

गत बैठक दिनांक 31-5-95 के विषय क्रमांक-4 जो कैम्बरीयन हौल स्कूल देहरादून के विद्यालय भवन निर्माण हेतु ग्रीन बैल्ट भूमि के भूउपयोग को आवासीय कराये जाने के सम्बन्ध में था, पर बैठक में चर्चा के दौरान अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 31-5-95 में लिए गए निर्णय के अनुसार आवेदक से प्रश्नगत स्थल के मानचित्र और भूमि के विवरण सम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव वांछित है। सर्व-सम्मत्ति से निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष, म०दे०वि०प्रा० आवेदक को एक निश्चित समय देकर वांछित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए प्रस्ताव का शीघ्र निस्तारण करें और यदि आवेदक द्वारा उक्त निर्धारित तिथि तक औपचारिकताएं पूर्ण नहीं करायी जाती है तो तद्नुसार उक्त प्रस्ताव को निरस्त करते हुए आवेदक को सूचित कर दिया जाये। अध्यक्ष महोदय ने जिज्ञासा व्यक्त की कि प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों के निस्तारण हेतु किन मानदण्डों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है, के सम्बन्ध में एक विस्तृत आख्या सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, गढवाल सम्भाग द्वारा उनको उपलब्ध करायी जाए ताकि तद्नुसार भविष्य में इस प्रकार के समस्त प्रकरणों में कार्यवाही की जा सके। अध्यक्ष महोदय ने यह भी निर्देश दिए कि ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्राधिकरण द्वारा अपनायी जा रही नीति की जानकारी आम जनता को भी होनी चाहिये।

विषय क्रमांक: 1

ट्रान्सपोर्ट नगर हेतु बैकल्पिक भूमि का भूउपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

उक्त विषय पर चर्चा के दौरान सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग द्वारा बैठक को अवगत कराया गया कि देहरादून महायोजना में ट्रान्सपोर्ट नगर हेतु सहारनपुर रोड पर आरक्षित भूमि पर प्राधिकरण द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर की योजना क्रियान्वित न कराए जाने एवं बैकल्पिक व्यवस्था के तहत ट्रान्सपोर्ट नगर हेतु ग्राम पित्थूवाला/मेहूँवाला की भूमि प्रस्तावित किए जाने के फलस्वरूप उक्त भूमि का भूउपयोग परिवर्तन भी आवश्यक होगा। विचार-विमर्श के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर हेतु ग्राम पित्थूवाला/मेहूँवाला में प्रस्तावित भूमि जिसका वर्तमान भूउपयोग कृषि/आवासीय है, को ट्रान्सपोर्ट नगर हेतु आरक्षित करने एवं सहारनपुर रोड पर वर्तमान में आरक्षित ट्रान्सपोर्ट नगर की भूमि का भूउपयोग महायोजना प्रस्तावों को देखते हुए आवासीय में किए जाने का निर्णय लिया गया। निर्देश दिए गए कि तद्नुसार उक्त दोनों प्रस्तावों को शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाए।

विषय क्रमांक : 2

किशनपुर योजना के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बैठक को अवगत कराया गया कि प्रश्नगत भूमि का स्वामित्व नगर परिषद देहरादून के पास है। उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की पूर्व बैठकों में यह निर्णय लिया गया था कि नगर परिषद प्रश्नगत भूमि को निःशुल्क प्राधिकरण को आवासीय योजना हेतु

ष्ट्रा करायेंगे और बदले में प्राधिकरण नगर परिषद के स्वामित्व वाले
ती पार्क को विकसित करेंगे परन्तु उक्त भूमि पर आवासीय योजना के
यान्वयन के समय कतिपय विवाद उत्पन्न हो जाने के फलस्वरूप आवासीय
जना का क्रियान्वयन नहीं हो सका अतः उक्त प्रस्ताव पर पुनः प्राधिकरण
ई द्वारा विचार/निर्णय लिया जाना आवश्यक है। प्रस्ताव पर विस्तृत
र्श के उपरान्त तथा प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन पर तत्समय भूमि हस्तान्तरण
हुए विवाद तथा अन्य सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए सर्व-सम्मत्ति से
त प्रस्ताव को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

षय क्रमांक : 3

ास प्राधिकरण क्षेत्र में सुधार शुल्क (बेटरमेण्ट चार्ज) के निर्धारण के
बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सहयुक्त नियोजक द्वारा बैठक को अवगत
राया गया कि प्रस्ताव में कतिपय क्षेत्रों को समाहित नहीं किया गया है अतः
न क्षेत्रों का वर्णन/उल्लेख भी उक्त प्रस्ताव में किया जाना आवश्यक होगा।
विचार-विमर्श के उपरान्त सर्व-सम्मत्ति से बेटरमेण्ट चार्ज लिए जाने
म्बन्धी उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। निर्देश दिए गए कि जिन
त्रों का उल्लेख उक्त प्रस्ताव में नहीं हो सका है, उनको समाहित करते हुए
इसे शासन के अनुमोदन हेतु अतिशीघ्र प्रेषित किया जाए।

विषय क्रमांक : 4

श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर सम्पत्ति सं0-75 करनपुर बाजार के मानचित्र संख्या-
460/95-96 पर विचार कर निर्णय लिया जाना ।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्व-सम्मत्ति से उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0
को नियमों के अनुकूल उक्त भवन मानचित्र के निस्तारण हेतु अधिकृत किया गया।

विषय क्रमांक : 5

सचिव बिशेश्वर मंदिर व हरी सिंह पंचायती धर्मशाला सम्पत्ति संख्या 270 करनपुर, देहरादून के मानचित्र संख्या-202/95-96 पर विचार कर निर्णय लिया जाना ।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्व-सम्मत्ति से निर्णय लिया गया कि जिला प्रशासन का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त नियमों के अनुकूल उपाध्यक्ष, म0 दे0वि0प्रा0 प्रश्नगत भवन मानचित्र का निस्तारण करें।

विषय क्रमांक : 6

प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों की भांति नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी प्राथमिकता के आधार पर भूखण्ड/भवन आवंटन के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर बिस्तृत चर्चा के उपरान्त सर्व-सम्मत्ति से प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों की भांति नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग गढ़वाल सम्भाग, देहरादून के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी प्राथमिकता के आधार पर भूखण्ड/भवन आवंटन करने सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इस सुविधा में प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाये।

विषय क्रमांक : 7

श्री राजेन्द्र सिंह ढिल्लन द्वारा सम्पत्ति संख्या-12 चन्दर रोड पर प्रस्तावित स्कूल भवन मानचित्र के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर बिस्तृत चर्चा के उपरान्त सर्व-सम्मत्ति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित स्कूल भवन मानचित्र प्राधिकरण की भवन उपविधियों में

निर्धारित मानकों के बिपरीत प्रस्ताबित किया गया है जिस पर बिचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। अतः उक्त प्रस्ताब को सर्ब-सम्मत्ति से अस्बीकृत करने का निर्णय लिया गया ।

विषय क्रमांक : 8

समूह "ग" एवं समूह "घ" के कार्यरत दैनिक बेतन भोगी कर्मचारियों के बेतन बृद्धि के सम्बन्धा में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्ब-सम्मत्ति से प्राधिकरण में कार्यरत समूह "ग" एवं समूह "घ" के कर्मचारियों के दैनिक बेतन में माह सितम्बर,1995 से 5/- (पांच रू0) प्रतिदिन की बढोत्तरी किए जाने सम्बन्धी उक्त प्रस्ताब का सर्ब-सम्मत्ति से अनुमोदन किया गया।

अन्य विषाय क्रमांक: 1

सचिब इंडियन स्कूल सोसाईटी के खसरा नम्बर-169/1 एवं 170/2 ग्राम नत्थनपुर में प्रस्ताबित स्कूल भबन मानचित्र के सम्बन्धा में ।

सहयुक्त नियोजक द्वारा सुझाब दिया गया कि उक्त संस्था द्वारा प्रस्ताबित स्कूल स्थल के समीप में ही पूर्ब से निर्मित भबन में बर्तमान में स्कूल चलाया जा रहा है परन्तु इस निर्मित स्कूल भबन के सम्बन्धा में प्रस्ताव पर कोई उल्लेख नहीं हो सका है। अतः उक्त प्रस्ताब पर बिचार करने से पूर्ब संस्था द्वारा उक्त स्थल पर पूर्ब निर्मित बिद्यालय भबन के सम्बन्धा में भी स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए कि प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों के निस्तारण हेतु किन-मानकों के अर्न्तगत कार्यवाही की जा रही है,के सम्बन्धा में एक बिस्तृत आख्या सहयुक्त नियोजक,नगर एवं ग्राम्य नियोजन बिभाग,गढवाल सम्भाग,देहरादून द्वारा उपाध्यक्ष के माध्यम से उनके निर्देश प्राप्त करने हेतु प्रेषित की जाए। सर्ब-सम्मत्ति से निर्णय लिया गया

के इस प्रकार के प्रकरणों के सम्बन्ध में मानक निर्धारित कर एवं उन पर ध्यक्ष के आदेश प्राप्त करते हुए उपाध्यक्ष, म०दे०वि०प्रा० इस प्रकरण पर अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार यथा निर्देश अग्रेत्तर कार्यवाही करें।

अन्य विषय क्रमांक : 2

श्रीमती शारदा सिंह के खसरा नम्बर-579/1,2 ग्राम मेहूँवाला माफी, देहरादून में प्रस्तावित गैस गोदाम के मानचित्र के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त प्रस्ताव के गुण-दोषों पर विचार करने के उपरान्त सर्व-सम्मत्ति से उपाध्यक्ष, म०दे०वि०प्रा० को नियमानुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराने के उपरान्त मानचित्र के निस्तारण हेतु अधिकृत किया गया।

अन्य विषय क्रमांक : 3

मसूरी विकास प्राधिकरण निर्माण उपविधियों के प्रारूप के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

उक्त प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त सर्व-सम्मत्ति से मसूरी विकास प्राधिकरण निर्माण उपविधियों पर विचार कर संस्तुति देने हेतु निम्न प्रकार एक समिति का गठन किया गया :-

1-उपाध्यक्ष, म०दे०वि०प्रा०	अध्यक्ष
2-सह्युक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, गढ़वाल सम्भाग, देहरादून	सदस्य
3-प्रभारी अधिकारी, नगर परिषद, मसूरी	सदस्य

उक्त समिति से अपेक्षा की गयी कि समिति इन निर्माण उपविधियों पर विचार करते समय हाल ही में श्री देशराज सिंह, सदस्य, राजस्व परिषद, उ०प्र०

की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा मसूरी के पर्यावरण संरक्षण आदि के सम्बन्ध में दिए गए दिशा निर्देशों को मध्यनजर रखते हुए मसूरी विकास प्राधिकरण निर्माण उपविधियों सम्बन्धी प्रस्तावों पर अपनी संस्तुति देते हुए उन्हें बोर्ड के अनुमोदनार्थ आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

अन्य विषय क्रमांक : 4

12,प्रीतम रोड में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ऑफिस काम्पलैक्स के निर्माण के सम्बन्ध में ।

बैठक में चर्चा के दौरान अवगत कराया गया कि प्राधिकरण के पास अपना कार्यालय भवन न होने तथा वर्तमान में स्टाफ के बैठने हेतु उचित व्यवस्था न होने के कारण प्रश्नगत सम्पत्ति पर बने भवन एवं उक्त सम्पत्ति के परिसर को भूमि को आपसी वार्ता द्वारा क्रय किए जाने का निर्णय प्राधिकरण को गत बैठकों में लिया जा चुका है और बोर्ड के निर्णयानुसार आपसी वार्ता से उक्त सम्पत्ति को क्रय किए जाने सम्बन्धी कार्यवाही गतिमान है। उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित कार्यालय भवन को आर्थिक दृष्टि से वायबिल बनाने के उद्देश्य से इसके डिजायन आदि का कार्य श्री एम0एन0जोगलेकर, अधिशासी निदेशक, डिजायन एवं डेवलपमेण्ट विंग, हडको नई दिल्ली से कराये जाने का उक्त प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए कि उक्त कार्यालय भवन को इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय भवन के पैटर्न पर प्रस्तावित किया जाए इससे जहां एक ओर कार्यालय भवन आर्थिक रूप से वायबिल हो सकेगा और वहीं दूसरी ओर इसे अन्य विभागों को कार्यालय के उपयोगार्थ किराए पर भी दिया जा सकता है। सर्व-सम्मत्ति से

(61)

निर्णय लिया गया कि कार्यालय भवन को आर्थिक रूप से बायबिल बनाने एवं इसे प्राधिकरण के लिए लाभकारी बनाते हुए एक ठोस प्रस्ताव बोर्ड के अनुमोदनार्थ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

अन्य विषय क्रमांक : 5

बजट परिव्यय में कमी हेतु संशोधित बजट

बजट प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बैठक को अवगत कराया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में उत्तराखण्ड आन्दोलन के चलते यदा कदा बन्द रहने तथा शासन की नई आवासीय योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण के बजाए साईड डेवलपमेण्ट करने आदि अपरिहार्य कारणों से पूर्व अनुमोदित बजट के लक्ष्यों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। अतः पूर्व अनुमोदित बजट के परिव्यय प्राविधानों में कमी करने के प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्व-सम्मत्ति से संशोधित बजट प्रस्ताव आय 1104.44 लाख रुपये एवं व्यय 1088.70 लाख रुपये निम्नांकित निर्देश के साथ अनुमोदित किया गया :-

निर्देश दिए गए कि प्राधिकरण की अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु तथा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु एक निश्चित अन्तराल पर प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा बैठकें की जाएं तथा सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु प्राधिकरण अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवंटित लक्ष्य पूर्ति की समीक्षा की जाए।

अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए कि बजट प्रस्ताव पूर्ण विवेचना (आय, व्यय तथा निर्धारित लक्ष्यों की स्थिति तथा उनकी पूर्ति की स्थिति प्रदर्शित करते हुए प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा आय का ब्रेक-अप देते समय प्राधिकरण की अपनी वास्तविक आय का विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए और आय के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्राधिकरण के

योगदान का भी वर्णन किया जाना चाहिये।

बजट प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ही अध्यक्ष द्वारा शमन शुल्क एवं विकास शुल्क से प्राप्त होने वाली आय की प्रभावी बसूली हेतु भी एक निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित अभियंताओं एवं कर्मचारियों से एक नियत समय पर आख्या लिए जाने के निर्देश दिए गए। अवैध निर्माणों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किए जाने हेतु अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए कि अवैध निर्माण नियंत्रण कार्य में लगे अभियंताओं से प्रत्येक सप्ताह एक निर्धारित प्रारूप पर आख्या प्राप्त की जाए कि उनके द्वारा अपने क्षेत्र में सप्ताह के दौरान कितने अवैध निर्माणों का चालान किया गया, कितने अवैध निर्माणों को शमन किया और उनसे कितना शमन शुल्क प्राप्त हुआ तथा कितने मामलों में ध्वस्तीकरण आदेश पारित करवाये गये। यह भी निर्देश दिए गए कि इन अभियंताओं से इस आशय का प्रमाण पत्र भी हर सप्ताह प्राप्त किया जाए कि उन्हें आवंटित सेक्टर में सप्ताह में कोई नवीन अवैध निर्माण नहीं प्रारम्भ हुआ है।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ही अध्यक्ष द्वारा यहभी निर्देश दिए गए कि ऐसी समस्त निर्माण/विकास कार्यों की योजनाओं के सम्बन्ध में जिनमें कि निर्धारित बजट से अधिक व्यय हो चुका हो, उपाध्यक्ष सम्बन्धित अधिकारियों/अभियंताओं का स्पष्टीकरण प्राप्त कर भविष्य में बजट के प्राविधानों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करें।

<u>अन्य विषय क्रमांक : 6</u>

<u>मसूरी में जन सुविधाओं हेतु दो कार पार्किंग एवं शिविर कार्यालय के निर्माण के सम्बन्ध में</u>।

प्रस्ताव पर विस्तृत बिचार बिमर्श के उपरान्त सर्व-सम्मत्ति से यद्यपि

561

प्रस्ताव को औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया तथापि निर्देश दिए गए कि शिविर कार्यालय एवं प्रस्ताव में वर्णित स्थलों पर कार पार्किंग के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धतता एवं इन प्रस्तावों को आर्थिक रूप से वायबिल बनाते हुए एक ठोस प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

अन्त में बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए कार्यवाही समाप्त की गयी।

(के०एल०शर्मा)
उपाध्यक्ष,
म०दे०वि०प्रा०
देहरादून

(सुभाष कुमार)
आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल,
अध्यक्ष,
म०दे०वि०प्रा०